रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 497] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 21, 2017/फाल्गुन 2, 1938
No. 497] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 21, 2017/PHALGUNA 2, 1938

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2017

का.आ.559(अ).— सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, कार्यरत माताओं, ऐसे कुटुम्बों की, जिनकी मासिक आय बारह हजार रुपए (12000 रुपए) से अधिक नहीं है, महिलाओं और अन्य सुपात्र महिलाओं के बालकों (6 मास से 6 वर्ष तक के) को दिन परिचर्या सुविधा उपबल्ध कराने हेतु शिशुकक्ष केन्द्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय शिशुकक्ष स्कीम का प्रशासन कर रहा है । यह स्कीम अनुपूरक पोषण, टीकाकरण, पोलियो ड्राप्स जैसे स्वास्थ्य देखभाल अंत:निवेशों, आधारिक स्वास्थ्य मानीटरी, निद्रण सुविधा, बालकों (3 से 6 वर्ष तक के) को विद्यालय पूर्व शिक्षा, आपातकालीन औषध और आकस्मिकताएं भी उपलब्ध कराती है ;

और शिशुकक्ष केन्द्रों में प्रस्थापित पूर्वोक्त अनुपूरक पोषण में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :--

1. (1) शिशुकक्ष केन्द्रों में प्रस्थापित अनुपूरक पोषण का फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक व्यष्टियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें ।

(2) शिशुकक्ष केन्द्रों में प्रस्थापित अनुपूरक पोषण का फायदा प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसी ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के स्थानीय प्राधिकारी आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बन गए हैं या बनने हेतु प्रक्रियाधीन हैं और वे यूआईडीएआई के परामर्श से नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सुविधाजनक अवस्थानों पर विशेष आधार नामांकन शिविरों का आयोजन कर रहे हैं तथा ऐसे शिशुकक्ष केद्रों में प्रस्थापित किन्हीं फायदों और सेवाओं का फायदा लेने के लिए इच्छुक ऐसा कोई व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन हेतु ऐसे विशेष आधार नामांकन शिविरों में या आसपास स्थित किसी आधार नामांकन केंद्र में यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के पास भी जा सकेगा ।

(4) 5 वर्ष से कम आयु के बालक फायदाग्राहियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 में यथाविहित आधार नामांकन प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ।

(5) उस दशा में, जहां आधार का प्रयोग करते हुए अधिप्रमाणन या आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करना संभव नहीं है, वहां फायदाग्राही 6 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए शिशुकक्ष केन्दों में अनुपूरक पोषण सेवाओं का फायदा प्राप्त करना तब तक जारी रखेंगें जब तक कि वे समय या आयु के कारण वर्जित नहीं हो जाते, अर्थात् :--

(क)(i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान; या

(ii) पैरा 2 के उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ; और

(ख) माता-पिता में से किसी की, अधिमानी रूप से माता या विधिक संरक्षक की आधार संख्या या आधार नामांकन पहचान स्लिप, बालक के जनसांख्यिकी ब्यौरों, जैसे कि नाम, जन्म तिथि, लिंग, फोटोग्राफ के सहित ; और

(ग) माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ बालक की नातेदारी के सबूत के रूप में निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज, अर्थात् :--

(i) जन्म प्रमाणपत्र ; या समुचित शासकीय प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म का अभिलेख ; या

(ii) राशन कार्ड ; या एमजीएनआरईजीएस कार्य कार्ड ; या

(iii) ईसीएचएस कार्ड ; या ईएसआईसी कार्ड ; या सीजीएचएस कार्ड ; या

(iv) पेंशन कार्ड ; या सेना कैंटीन कार्ड ; या

(v) कोई शासकीय कुटुंब हकदारी कार्ड ; या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज; और

(vi) माता-पिता या विधिक संरक्षक द्वारा यह वचनबंध कि बालक उसके साथ रह रहा है और वह बालक के लिए किसी अन्य शिशुकक्ष केन्द्र से किन्हीं सेवाओं या फायदों को प्राप्त नहीं कर रहा/रही है ।

2. (1) शिशुकक्ष केन्द्रों के फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन बाल विकास परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, शिशुकक्ष केन्द्रों और स्थानीय मीडिया के कार्यालयों के माध्यम से आधार हेतु नामांकन की आवश्यकता और आधार नामांकन के लिए दी गई प्रसुविधाओं के ब्यौरों के संबंध में फायदाग्राहियों में जागरुकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार करेंगे ।

(2) फायदाग्राहियों के, ब्लॉक या तहसील या तालुक में नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, बाल विकास परियोजना अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा बालकों और उनके माता-पिता या संरक्षकों से यह अनुरोध किया जाए कि वे अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर जैसे अन्य ब्यौरों के साथ शिशुकक्ष केन्द्र के साथ नामांकन के लिए अपने अनुरोध को रजिस्टर करें ।

3. यह अधिसूचना जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी ।

[सं. सीआरई-23/32/2016-क्रेच]

रश्मि सक्सेना साहनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2017

S.O.559(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering National Crèche Scheme for establishment of Crèche Centres to provide day care facilities to children (age group of 6 months to 6 years) of working mothers and other deserving women belonging to families whose monthly income is not more than twelve thousand rupees (Rs. 12,000/-). The Scheme also provides for supplementary nutrition, health care inputs like immunization, polio drops, basic health monitoring, sleeping facilities, pre-school education of children (03 to 06 years), emergency medicine and contingencies;

And, whereas the aforesaid Supplementary Nutrition offered at Crèche Centres involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government in the Ministry of Women and Child Development hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Individuals desirous of availing the Supplementary Nutrition offered at the Crèche Centres are required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the Supplementary Nutrition offered at the Crèche Centres, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the local authorities in the State Governments or Union Territory Administrations have become or are in the process of becoming UIDAI Registrars for Aadhaar enrolment and are organising special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrolment facilities in consultation with UIDAI and any individual desirous of availing any of the benefits and services offered at the Crèche Centres, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centres in the vicinity with existing Registrars of UIDAI.

(4) The Aadhaar enrolment process as prescribed in section 5 of the said Act shall be followed for children beneficiaries below the age of five years.

(5) In case authentication using Aadhaar or submission of proof of possession of Aadhaar is not possible, the beneficiaries shall continue to avail the Supplementary Nutrition services at Crèche Centres till the beneficiaries become time or age barred, subject to the production of following documents for children upto the age of six years, namely:—

(a) (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) Aadhaar number or Aadhaar Enrolment ID slip of any of the parent, preferably mother, or legal guardian alongwith demographic details of the child, such as, name, date of birth, gender, photograph; and

(c) any one of the following document as proof of relationship of the child with the parent or legal guardian, namely:—

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate Government authority; or

(ii) Ration Card; or MGNREGS Job Card; or

(iii) ECHS Card ; or ESIC Card; or CGHS Card; or

(iv) Pension Card; or Army Canteen Card; or

(v) any Government Family Entitlement Card; or any other document specified by the State Government or Union Territory Administration; and

(vi) an undertaking by the parent or legal guardian that the child is residing with him or her and that he or she is not availing services or benefits for the child from any other Crèche Centre.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free services to the beneficiaries at the Crèche Centres, the State Governments and Union Territory Administrations shall make wide publicity through the offices of Child Development Project Officers, Supervisors, Crèche Centres and local media for awareness of the beneficiaries about the necessity of enrolment for Aadhaar and details of facilities made for Aadhaar enrollment.

(2) In case the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluks, the Child Development Project Officers are required to create enrolment facilities at convenient location and the children and their parents or guardians may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as name, address, mobile number with the crèche center.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the State of Jammu and Kashmir.

[No.CRE-23/32/2016-CRECHE]

RASHMI SAXENA SAHNI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली,14 फरवरी, 2017

का.आ. 560(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और भारत सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, कार्यरत माताओं, ऐसे कुटुम्बों की, जिनकी मासिक आय बारह हजार रुपए (12000 रुपए) से अधिक नहीं है, महिलाओं और अन्य सुपात्र महिलाओं के बालकों (6 मास से 6 वर्ष तक के) को दिन परिचर्या सुविधा उपबल्ध कराने हेतु शिशुकक्ष केन्द्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय शिशुकक्ष स्कीम का प्रशासन कर रहा है । यह स्कीम अनुपूरक पोषण, टीकाकरण, पोलियो ड्राप्स जैसे स्वास्थ्य देखभाल अंत:निवेशों, आधारिक स्वास्थ्य मानीटरी, निद्रण सुविधा, बालकों (3 से 6 वर्ष तक के) को विद्यालय पूर्व शिक्षा, आपातकालीन औषध और आकस्मिकताएं भी उपलब्ध कराती है ;

और शिशुकक्ष केंद्रों में सेवाएं शिशुकक्ष कर्मकारों और शिशुकक्ष सहायकों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और ये कृत्यकारी ऐसे अवैतनिक कर्मकार हैं, जो सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आएं हैं और उनकी सेवाओं को मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा मासिक मानदेय का संदाय किया जाता है ;

और शिशुकक्ष कर्मकारों तथा शिशुकक्ष सहायकों के मानदेय के मद्दे संदत्त किए जाने वाले मानदेय में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :--

1. (1) शिशुकक्ष केंद्रों में कार्यरत शिशुकक्ष कर्मकारों और शिशुकक्ष सहायकों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें ।

(2) किसी ऐसे शिशुकक्ष कर्मकार या शिशुकक्ष सहायक को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा परंतु ऐसा कर्मकार या सहायक उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसा व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगा ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के स्थानीय प्राधिकारी आधार नामांकन के लिए यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बन गए हैं और वे यूआईडीएआई के परामर्श से नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सुविधाजनक अवस्थानों पर विशेष आधार नामांकन शिविरों का आयोजन कर रहे हैं तथा ऐसे

शिशुकक्ष कर्मकार और शिशुकक्ष सहायक, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन हेतु ऐसे विशेष आधार नामांकन शिविरों में या आसपास स्थित किसी आधार नामांकन केंद्र में यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के पास जा सकेंगे ।

(4) परंतु शिशुकक्ष कर्मकारों और शिशुकक्ष सहायकों को आधार संख्या दिए जाने तक शिशुकक्ष कर्मकारों और शिशुकक्ष सहायकों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए मानदेय का संदाय किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ; और

(ख) (i) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज, अर्थात् :--

बैंक फोटो पासबुक ; या मतदाता पहचान पत्र ; या राशन कार्ड ; या किसान फोटो पासबुक ; या पासपोर्ट ; या चालन अनुज्ञप्ति ; या पेन कार्ड ; या एमजीएनआरईजीएस कार्य कार्ड ; या सरकार या पब्लिक सेक्टर उद्यमों द्वारा जारी कर्मचारी फोटो पहचान पत्र ; या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र ; या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा उसके शासकीय पत्र शीर्ष पर जारी कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित ; या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज ।

(ii) यह वचनबंध दिए जाने पर कि वह किसी अन्य शिशुकक्ष केन्द्र में सेवा प्रदान नहीं कर रहा है या वहां से कोई फायदे प्राप्त नहीं कर रहा है ।

2. (1) शिशुकक्ष कर्मकारों और शिशुकक्ष सहायकों के आधार के लिए सुविधाजनक और निर्बाध नामांकन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन बाल विकास परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों के कार्यालयों के माध्यम से आधार हेतु नामांकन की आवश्यकता और आधार नामांकन के लिए दी गई प्रसुविधाओं के ब्यौरों के संबंध में शिशुकक्ष कर्मकारों और शिशुकक्ष सहायकों में जागरुकता पैदा करने के लिए व्यापक प्रचार करेंगे ।

(2) शिशुकक्ष कर्मकारों और शिशुकक्ष सहायकों के, ब्लॉक या तहसील या तालुक में नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, बाल विकास परियोजना अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा शिशुकक्ष कर्मकार और शिशुकक्ष सहायक, अपने पते, मोबाइल नंबर जैसे अन्य ब्यौरों के साथ अपने नामों को बाल विकास परियोजना अधिकारी को देकर नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी ।

[सं. सीआरई-23/32/2016-क्रेच]

रश्मि सक्सेना साहनी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2017

S.O. 560 (E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Women and Child Development in the Government of India is administering National Crèche Scheme for establishment of Crèche Centre to provide day care facilities to children (age group of 6 months to 6 years) of working mothers and other deserving women belonging to families whose monthly income is not more than twelve thousand rupees (Rs. 12,000/-). The Scheme also provides for supplementary nutrition, health care inputs like immunisation, polio drops, basic health monitoring, sleeping facilities, pre-school education of children (03 to 06 years), emergency medicine and contingencies;

And whereas, the services at Crèche Centres are provided by the Crèche Workers and Crèche Helpers and these functionaries are honorary workers who have come forward for rendering social services and in recognition of their services, they are paid monthly honorarium by the Central Government, the State Governments and Union Territory Administrations;

And whereas, the honorarium paid towards the honorarium of the Crèche Workers and Crèche Helpers involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Women and Child Development hereby notifies the following, namely:—

1. (1) Crèche Workers and Crèche Helpers working at the Crèche Centres shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any Crèche Worker or Crèche Helper, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017 provided such Worker or Helper is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the local authorities in the State Governments or Union Territory Administrations have become UIDAI Registrars for Aadhaar enrolment and organising special Aadhaar enrolment camps at convenient locations for providing enrolment facilities in consultation with UIDAI and the Crèche Workers and Crèche Helpers, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, may also visit such special Aadhaar enrolment camps for Aadhaar enrolment or any of the Aadhaar enrolment centres in the vicinity with existing Registrars of UIDAI:

(4) Provided that till the time Aadhaar is assigned to the Crèche Workers and Crèche Helpers the honorarium shall be paid to the Crèche Workers and Crèche Helpers subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) (i) any of the following documents, namely:—

Bank photo passbook; or Voter ID Card; or Ration Card; or Kishan Photo Passbook; or Passport; or Driving License; or PAN Card; or MGNREGS Job Card; or Employee Photo Identity Card issued by the Government or Public Sector Undertakings; or any other Photo Identity Card issued by State Government or Union Territory Administration; or Certificate of identity with photograph issued by any Gazetted Officer in his official letter head; or any other document specified by the State Government or Union Territory Administration.

(ii) an undertaking that he is not rendering service or availing benefits from any other Crèche Centre.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free enrolment for Aadhaar of the Crèche Workers and Crèche Helpers, the State Governments and Union Territory Administrations shall made wide publicity through the offices of Child Development Project Officer and Supervisors for awareness of the Crèche Workers and Crèche Helpers about the necessity of enrolment for Aadhaar and details of facilities made for Aadhaar enrolment.

(2) In case the Crèche Workers and Crèche Helpers are not able to enroll due to non-availability of enrolment centres in the Block or Tehsil or Taluks, the Child Development Project Officers shall be required to create enrolment facilities at convenient locations and the Crèche Workers and Crèche Helpers may register their request for enrolment by giving their names with other details, such as, address, mobile number with the Child Development Project Officer.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in all States and Union Territories except the State of Jammu and Kashmir.

[No. CRE-23/32/2016-CRECHE]
RASHMI SAXENA SAHNI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.22 16:51:05 +05'30'